UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 144 / 250 दिनांक 17/01/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड –दारसिंह–खातीगॉव –नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी0 मिलान मोटर मार्ग।**(प्रस्ताव सं0 15682 /2015)**

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून **के पत्रांक सं0 1137/FP/UK/ROAD/15682/2015 दिनांक 04 नवम्बर, 2019 एवं** आपके Online EDS dated 10-02-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून **के पत्रांक सं0 1137/FP/UK/ROAD/15682/2015 दिनांक 04 नवम्बर, 2019 एवं** आपके Online EDS dated 10-02-2020 **द्वारा** उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियॉ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियॉ	आख्या
1	**EDS Dated 07-12-2017** In reply to point no 2, authority letter still not uploaded for the applicant.	Authority letter in favour of Executive Engineer Sanjay Kumar pandey is now provided in hard copy and also uploaded in Form A Part I A-3 (XVII)
2	In reply to point no 3 & 4 date on VLC proceeding of village Horali and Bhantotal is after the date of DM certificate which is not acceptable. Also requested to uploaded clear copy of complete. FRA.	VLC Proceeding of village Horali 09-09-2015 is dated and Bhantola is dated 28-08-2015 and DM certificate dated 14-09-2015 (uploaded clear copy part-I PARA-K)
3	In reply to point no 5 component wise break up still does not shows area marked for road muck dispogal and other component like bridge in online part-I. The State Govt. may upload/provide the correct detail in online part-I again.	Component wise break up only in the area for road diversion. muck disposal is being carried nap land
4	In reply to point no. 9, copy of map indicating location of alternative examined is still not uploaded in the designated place. In part-I.	map including are alternative examined is uploaded.

5	In reply to point-10, in place of justification of locating the project in forest land still benefit of road uploaded in part-I,. The sate Govt. may upload revised justification in the designated column.	justification for locating the project in forest land is uploaded
6	In reply to point no 11, 125 trees per ha does not account for 0.3 density the state Govt. may revise the density accordingly in online part-II.	(Releated to DFO)
7	Original hard copy of CA scheme, CA site suitability, digital map of proposed road, digital map of CA and part-I to part-V may be provide. CA Kml file has been overlaping	उक्त प्रस्ताव में पुनः ग्राम नौकोडी में 9.900 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित मैप तैयार कर पुनः प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा रहा है। अतः अपने स्तर से सैद्वान्तिक स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें। (संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मैप, उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं क्षतिपपूरक वृक्षारोपण का आगणन) 5 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रांक सं0 2221/2ई दिनांक 30.12.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गयी है।

भवदीय,

(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

☐

प्रारुप–1

Mr. **S.K.Pandey (Executive Engineer)** is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding Construction of Phaithan Darsingh Khatigun Natishera to Bhantola Motor Road (Length 9.500 Km) of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of india portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the **Superintending Engineer** (head of the Instituion name/designation)

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

1.5

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड–दारसिंह –खातीगॉव– नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी0 मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर बागेश्वर–दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 34 से प्रारम्भ होता है जो बिनाडी, पैठाड, होराली, बुदाला, दारसिंह, राजकीय विद्यालय होराली एवं भन्तोला इत्यादि ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 841 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गॉव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पांएगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन–पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएगें साथ ही गॉव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

यह संरेखण आरक्षित भूमि, सिविल भूमि, वन पंचायत एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी0 तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.710 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 3.870 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.900 है0 एवं नापभूमि 2.070 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं0–1 इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन बागेश्वर–दोफाड –धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 34 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी0 है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 4 नं0 हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं0–2 इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल बागेश्वर–दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी 34 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 9.750 किमी0 आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 5 नं0 हियरपिन बैण्ड पडतें हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0–2 को निरस्त कर समरेखण नं–1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.710 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 3.870 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.900 है0 एवं नापभूमि 2.070 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी0 व चौडाई 9 मी0 में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट